# संघ विधान

1–संस्था का नाम : इस संस्था का नाम **सेन्टर फॉर एम्पॉवरमेन्ट ऑफ वीकर सेक्शन (सिअस)** **(Center for Empowerment of Weaker Section - CEWS)** है व रहेगा।

2–पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकत कार्यालय गरिमा कानखेडिया **W/O** मनोज तंवर, क्वार्टर न. 80, Type III, केन्द्रान्चल कॉलोनी, कुडी भगतासनी, जोधपुर।

कार्यश्रेत्र : राजस्थान राज्य तथा राजस्थान के बाहर के लिए भी रहेगा।

3.संस्था के उद्वेश्यः–

1. जाति, धर्म, लिंग सम्प्रदाय आदि का भेद न रखते हुए मानव समाज के सर्वागीण विकास हेतु कार्य करना।
2. सामाजिक विकास के कम में ग्रामीण समुदाय विशेषकर निर्धन वर्गो के कल्याण के लिए कार्य करना जिसमें समाज में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक आयामों व विषमताएं दूर हो सके।
3. युवाओं, महिलाओं, वंचित वर्गों को विकास के विभिन्न विषयों में सहयोग व प्रोत्साहित कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ना।
4. शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए स्कूल एवं छात्रावासों का संचालन करना व निर्धन वर्ग के छात्र–छात्राओं को तकनीकी व रोजगारोन्मुखी शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
5. निराश्रित, दिव्यांग, वृद्व, विधवा, एकल नारी, अनाथ, परित्यकता तथा अन्य उपेक्षित वर्गो के व्यक्तियों के उत्थान हेतु कार्य करना।
6. समाज में पारस्परिक सहयोग, सामुदायिक एकता, नैतिकता एवं मानवीय मुल्यों की स्थापना करना।
7. समाज में व्याप्त कुरीतियों का प्रतिकार करना एवं नशामुक्त समाज की स्थापना के लिए आवश्यक अभियान व नशामुक्त केन्द्र का संचालन करना।
8. प्राकृतिक एवं मानवजनित विपदाओं के समय आवश्यकतानुसार सहायता करना एवं उनके पुर्नवास के लिए कार्य करना।
9. पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों के साथ में कार्य करना तथा पशुपालन के व्यवसाय से रोजगारोंमुखी अवसर पैदा करना।
10. पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कार्य करना तथा पर्यावरण प्रदुषण रोकना व लुप्त हो रही वनस्पति एवं वन्य जीवों का सरंक्षण हेतु कार्य करना।
11. मानव अधिकारों के सरंक्षण के लिए कार्य करना।
12. परम्परागत सांस्कृतिक धरोहरों के रखरखाव एवं संरक्षण हेतु जनसमुदाय को संवेदनशील बनाना तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना।
13. महपुरूषों के जयन्ती समारोह व परिनिर्वाण दिवस पर सांस्कृतिक व रचनात्मक कार्य, सदभावना दौड़, रन फॉर राइट्स, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर इक्वीलिटी, सेमीनार, संगोष्ठी, सम्मेलन, प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करना एवं विचारों का प्रसार–प्रचार करना।
14. स्वरोजगार हेतु दक्षता, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिकी, विज्ञान के आधुनिक प्रयोग एवं शिक्षा, प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य करना।
15. बालिका शिक्षा, महिला समृद्धि, दिव्यांग, शिक्षण एवं आवास व आवासीय स्कूल/छात्रावास, पुस्तकालय, प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार केन्द्र का संचालन करना।

गरिमा कानखेडिया

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

16. सामूहिक विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, सर्वधर्म विवाह सम्मेलनों का आयोजन करना एवं निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए सहायता उपलब्ध करवाना।
17. बच्चों, युवाओं, महिलाओं, समाज के नेतृत्वकर्ताओं तथा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं में नेतृत्वक्षमता के लिए अवसर उपलब्ध करना।
18. मनारोग, कैंसर, सिलिकोसिस, एच आई वी/एड्स, मलेरिया एवं अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को सहायता करना तथा रोगों के बचाव एवं उपचार के लिए जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना।
19. स्वास्थ्य सुविधा तथा विभिन्न सेवाएं वंचित व कमजोर वर्ग तक पंहुचे इसके लिए स्वयं सहायता समूह आंगनवाड़ी, महिला समूह, आशा एवं विभिन्न विभागव स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्य करना।
20. गरीबी उन्मूलन के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन करना, फेडरेशन बनाना तथा उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए कार्य करना।
21. सरकारी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को योग्य एवं पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए उनका प्रचार–प्रसार करना, शिविरों का आयोजन करना तथा पहुंच स्थापित करना।
22. जल प्रबन्धन तथा वर्षा जल संरक्षण के लिए कार्य करना।
23. भूमि सुधार तथा किसानों के कल्याण के लिए कार्य करना।
24. खान मजदूरों, कमठा मजदूर, ठेला मजदूर एवं दिहाड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए कार्य करना।
25. बाल अधिकार, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, बालश्रम तथा बालकों एवं बालिकाओं के लैंगिक उत्पीड़न, महिलाओ के मानसिक व लैंगिक उत्पीडन व कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीडन पर रोकने एवं संरक्षण के लिए कार्य करना।
26. उपभोक्ता संरक्षण एवं जागररूकता के लिए कार्य करना तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए कार्य करना।
27. दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, डायन प्रथा, अंधविश्वास, महिला उत्पीड़न, लैंगिक एवं यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन तथा महिला अधिकारों पर कार्य करना।
28. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबन्धन तथा पर्यावरण से जुड़े तमाम पहलुओं पर कार्य करना।
29. हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना तथा लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रत्सोहन करना तथा हस्तकला एवं शिल्पकला को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना।
30. सड़क सुरक्षा एव यातायात नियमों के पालन पर कार्यशालाओं का आयोजन करना तथा समुदाय में जागरूकता के लिए कार्य करना।
31. गरीबों, वंचित और कमजोर वर्ग के लिए स्वच्छता, शुद्धता, शुद्ध पेयजल, एवं स्वास्थ्य के लिए कार्य करना।
32. महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को महावारी प्रबन्धन तथा आरटीआई/यूटीआई सम्बन्धित समस्याओं पर जागरूकता करना।
33. समुदाय को विधिक, कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए विधिक जागरूकता शिविरों/कार्यशालाओं का आयोजन करना तथा पीड़ित पक्षकारों को न्याय दिलाने के सहायता करना। आम आदमी को न्याय उपलब्ध हो इसके लिए पैरवी करना।
34. विभिन्न मुद्दों पर सर्वे, अध्ययन, शोध करते हुए प्रतिवेदन तैयार करना एवं सूचना अधिकार अधिनियम के माध्यम से विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर उनका प्रकाशन करना एवं तथ्यो के आधार पर कार्यवाही करना।

गरिमा कानखेड़िया
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

35. कृषि, वानिकी, पशुपालन, आवास, शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, पेयजल, मनोरंजन, सास्कृतिक, खेल, रोजगार, श्रम आदि से सम्बन्धित विज्ञान एवं औद्योगिकी का उपयुक्त प्रयोग करते हुए रचनात्मक प्रवृतियों के द्वारा मानव समुदाय विषेषकर कमजोर, निर्धन वर्गों, अनुसूचित जाति जन जाति, अल्पसंख्यक, आदिवासी, घुमन्तु, भिखारी, मंदबुधि व अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु जन भागीदारी के द्वारा स्थाई विकास करते हुए मुख्यधारा से जोड़ना।
36. बेघर, अनाथ बच्चों/व्यक्तियों, एकल महिला, पीडित महिला, वृद्धजन, दिव्यांग, III[rd] ganration में सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु प्रयास करना।
37. अस्पृश्यता, छूआछूत, जातिवादी व्यवस्था के उन्मूलन हेतु प्रयास करना तथा सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं मानव हित हेतु कार्य करते हुये अन्य प्रांतीय एवं परंप्रांतीय संस्थाओं, सरकारी/अर्द्वसरकारी विभागों एवं संगठनों के साथ सांमजस्य व नेटर्वकिंग स्थापित करते हुए सहयोग लेना व देना।
38. सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं अन्य वित्तिय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।
39. युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ–साथ कानूनी शिक्षा की जानकारी उपलब्ध कराकर मानसिक रूप से मजबूत बनाना।
40. विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाना और विभिन्न संस्थाओं का सहयोग लेना व देना।

उपरोक्त उद्वेश्यों की पूर्ति में संस्था का कोई लाभ निहित नही हैं।

गरिमा कानखेड़िया
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष